परिपत्र संख्या 606 दिनांक 24.09.2018

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी

अभिलेख/वेतन लेखा कार्यालय (अन्य श्रेणी)

....

विषयः पेंशन भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण– सेवानिवृत्त हो रहे सैन्य बलों के कर्मचारियों द्वारा पेंशन दस्तावेजों के साथ प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण।

संदर्भः परिपत्र संख्या 546 दिनांक 10.09.2015।

कृपया दिनांक 25.08.2015 के रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 03 (01)/2015– डी.(पेन/पोल) का संदर्भ देखे जिसके अधीन सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति से पूर्व गैर पुनर्रोजगार/रोजगार संबंधी उद्घोषणा/स्थिति अन्य दस्तावेजों के साथ अपने–अपने अभिलेख कार्यालय / कार्यालय प्रमुख से प्राप्त करें।

2. सेवानिवृत्त होने वाले जे.सी.ओ./ अन्य श्रेणी के कर्मचारियों अथवा उनकी मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशनर की वर्णनात्मक सूची अभिलेख कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के साथ पेंशन संवितरण एजेंसियों को अधी भुगतान की वसूली, गैर पुनः रोजगार /रोजगार संबंधी वचन पत्र या उद्घोषणा का प्रमाण पत्र के साथ अग्रेषित किया जाएगा । यदि पेंशनर अपना पेंशन बैंक, रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय/ कोषागार कार्यालय आदि से न लेकर कहीं और स`ले रहा है तो संबंधित अभिलेख कार्यालय उस पेंशनर के पेंशन भुगतान ओदश के साथ– साथ उससे निरस्त चेक की एक प्रति लेकर पेंशन संवितरण एजेंसियों को उसके खाते में सही भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भेजेगा।

3.बैंक प्राधिकारियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के संज्ञान में अक्सर यह बात लाई जाती है कि उपरोक्तानुसार प्रथम पेंशन भुगतान के दौरान पेंशन संस्वीकृति प्राधिकारियों द्वारा बैंकों/ पेंशन संवितरण एजेंसियों को वर्णनात्मक सूची एवं पेंशन भुगतान आदेश के साथ अधिभुगतान / पुनःरोजगार/रोजगार संबंधी प्रमाण पत्र नहीं भेजे जा रहे है।

4.अतः सलाह दी जाती है कि पेंशन के त्वरित एवं समयपरक भुगतान के लिए सेवानिवृत्त के पश्चात् अधिभुगतान एवं पुनःरोजगार /रोजगार से संबंधित उद्घोषणाएं वर्णनात्मक सूची के साथ– साथ अवश्य भेजे जिससे की पेंशन का प्रथम भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पी.पी.ओ. बैंको/ पेंशन संवितरण एजेंसियों को भेजा जा सके। अधिभुगतान की वसूली व पुनःरोजगार /रोजगार न प्राप्त करने संबंधी उद्घोषणा प्रमाण पत्र की नमूना प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

5.यह परिपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट www.pcdapension.nic.inपर उपलब्ध है ।

(सुशील कुमार सिंह)

संयुक्त नियंत्रक (पेंशन)

सं. स्वी./तक./0148/LVIII

दिनांक 10.09.2018

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव कार्मिक एवं लोक शिकायत व पेंशन (पेंशन व पेंशनर कल्याण विभाग) मंत्रालय, भारत सरकार, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
2. निदेशक (पेंशन), रक्षा मंत्रालय भारत सरकार (पेंशन/ सेवाएं), सेना भवन, विंग– ए नई दिल्ली
3. नौसेना मुख्यालय पेंशन भुगतान व ए, डीएचक्यू पोस्ट नई दिल्ली।
4. डीपीए वायु भवन नई दिल्ली –11।
5. वायु सेना मुख्यालय, पता पीपी व पी–3, पश्चिमी खण्ड–6 आर के पुरम् , नई दिल्ली 66
6. वरिष्ठ रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (लेखा परीक्षा–2), कार्यालय र.ले.म.नि., उलन बटार रोड, पालम दिल्ली छावनी–10।
7. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना) नं. 1 कुपरेज रोड मुम्बई –400039।
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (प.क.) चंडी मंदिर, चंडीगढ ।
9. रक्षा लेखा नियंत्रक (वा.से.) पश्चिमी खण्ड –5 आर.के.पुरम् नई दिल्ली –66
10. रक्षा लेखा नियंत्रक टेईनामपेट, चेन्नई ।
11. रक्षा लेखा नियंत्रक (पें. संवि.) आयुध पथ मेरठ छावनी।
12. रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक (वा.से.) सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली–10।
13. निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली।
14. समस्त रेजीमेंट, कॉर्प्स।
15. नौसेना पेंशन कार्यालय द्वारा आई.एन.एस., सायन– ट्रॉम्बे रोड, मानखुर्द मुम्बई–400086
16. वायु सेना अभिलेख कार्यालय, धौला कुआं, दिल्ली छावनी।
17. निदेशक एम.पी.8 (आई ऑफ आर) समेकित मुख्यालय , रक्षा मंत्रालय (सेना) एडजुटेंट ब्रॉच, एम.पी. /एम.पी.8(आई ऑफ आर) अपर महानिदेशक , पश्चिमी खण्ड –3 आर.के.पुरम्, नई दिल्ली–66
18. प्रभारी अधिकारी समस्त अभिलेख/ वेतन लेखा कार्यालय ।
19. मुख्य कार्यालय के सभी अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक।
20. मुख्य कार्यालय के सभी वर्गाधिकारी।
21. प्रभारी अधिकारी जी–1 सैन्य (तक.), लेखा परीक्षा– अन्य श्रेणी (तक.) व जी–1 सिविल(तक.) ।
22. स्वीकृति/अन्य श्रेणी परिसर के समस्त वरि.लेखाधिकारी /लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी
23. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. मै.
24. प्रभारी अधिकारी ई.डी.पी. सेन्टर
25. प्रभारी अधिकारी पी.एच.पी सेल, ई.डी.पी. सेन्टर
26. मुख्य कार्यालय के समस्त अनुभाग।
27. प्रभारी अधिकारी जी–2 अनुभाग

28. प्रभारी अधिकारी जी–3 अनुभाग

29. प्रभारी अधिकारी जी–4 अनुभाग

30. प्रभारी अधिकारी सं.एवं प. अनुभाग

31. प्रभारी अधिकारी शिकायत कक्ष।

32. प्रभारी अधिकारी संगणक केन्द्र को इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

33. रक्षा पेंशन लाइजन कक्ष।

34. प्रभारी अधिकारी स्वागती कक्ष स्थानीय।

35. निदेशक रक्षा पेंशन प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद।

36. अतिरिक्त प्रतियां ।

(ए.के.मालवीय)

वरि.लेखाधिकारी (पेंशन)

पेंशनर द्वारा प्रदत्त वचन पत्र का नमूना –

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक

.... बैंक

.... शाखा व पता

प्रिय महोदय,

आपके बैंक के माध्यम से खाता संख्या .... में पेंशन का भुगतान।

मेरे निवेदन पर आप मेरे मासिक पेंशन को अपने बैंक के मेरे खाते में प्रतिमाह जमा करने पर सहमत हो गये हैं। मैं अधोहस्ताक्षरी सहमति एवं वचन देता हूॅ कि कोई भी राशि जिसका मैं हकदार नहीं हूॅ अथवा मेरे खाते में आधिक्य के रूप में जमा हो जाती है तो उस राशि को अविलम्ब वापस कर दूंगा । पुनः मैं एतद्द्वारा वचन एवं सहमति प्रदान करता हूॅ कि मैं स्वयं एवं मेरी संताने, उत्तराधिकारी, कार्यपालक एवं प्रशासक सभी इस तरह मेरी पेंशन को बैंक खाते में जमा करने के कम में होने वाली हानि को वहन करेंगे और साथ ही बैंक को मेरे खाते में जमा राशि से उक्त राशि की कटौती के लिए प्राधिकृत करता हूॅ।

भवदीय

हस्ता.
नाम
पता

साक्षी

1. हस्ता	2. हस्ता
नाम	नाम
पता	पता
तिथि	तिथि

रोजगार न करने/पुनर्रोजगार के प्रमाण पत्र का प्रपत्र

i. मैं घोषणा करता हूॅ मैं न तो किसी सरकारी विभाग/कार्यालय, कम्पनी, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत्त निकाय अथवा सोसायटी अथवा केन्द्र या राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय में मई अथवा नवम्बर में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के दौरान सेवा नहीं की है।

अथवा

मैं घोषणा करता हूॅ कि मैं .... के कार्यालय में.. कार्य कर रहा था जो .... सरकार का अंग/...द्वारा वित्त पोषित है जिसमें मई अथवा नवम्बर... में समाप्त होने वाले अर्ध वर्ष के दौरान अथवा उस माह के दौरान जिसमें उक्त अर्ध वर्ष पडता है, में निम्नलिखित मासिक दर पर परिलब्धियॉ प्राप्त करता रहा हूॅ।

अ) वेतन ....

विशेष वेतन..........................

भत्ते..

(मंहगाई भत्ता, बकाया मंहगाई भत्ता आदि सम्मिलित)

अथवा

ब) मानदेय ....

आगे मेरे पुनःरोजगार का आदेश मेरे द्वारा पुनः रोजगार के दौरान की गई सेवा के कम में रोकी गई पेंशन की गारंटी देता/नहीं देता है।

ii. मैं घोषणा करता हूॅ कि मैने भारत में किसी भी व्यावसायिक रोजगार को स्वीकार नहीं किया है ।

अथवा

मैं घोषणा करता हूॅ कि केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से मैने व्यावसायिक रोजगार प्राप्त किया है तथा सरकार द्वारा इस हेतु आबद्ध किसी भी नियम यदि कोई हो, का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अथवा

मैं घोषणा करता हूॅ कि मैने केन्द्र सरकार की बीना पूर्व स्वीकृति के मैने भारत में व्यावसायिक रोजगार प्राप्त किया है ।

टिप्पणी– यह घोषणा पत्र सेवानिवृत्ति की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाए ।

iii. मैं घोषणा करता हूॅ कि मैं भारत के बाहर/ किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, में किसी तरह का व्यावसायिक रोजगार स्वीकार नहीं किया है।

अथवा

मैं घोषणा करता हूॅ कि मैं भारत के बाहर सरकारी/ किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् व्यावसायिक रोजगार स्वीकार किया है एवं इस संबंध में सरकार द्वारा आबद्ध किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अथवा

मैं घोषणा करता हूॅं कि मैं भारत के बाहर सरकार के अधीन/ किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जिसका भारत सरकार सदस्य नहीं है, में केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना व्यावसायिक रोजगार स्वीकार किया है।

हस्ता.–
पेंशनर का नाम–

स्थान................................. पें.भु.आ. सं......................................
दिनांक.................................. टी.एस./पी.एस. सं........................

सेवा निवृत्त रक्षा असैन्य समूह ए अधिकारियों / क्रमशः सेना, नौसेना एवं वायु सेना के कर्नल, कैप्टन/ग्रुप कैप्टन जैसे पदों एवं उससे ऊपर के रैंक के कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा पैरा ii पर उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

सेवा निवृत्त रक्षा असैन्य समूह ए अधिकारियों एवं सभी रैंक के कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा पैरा iii पर उल्लिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।